



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 407]
No. 407]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 1986/अश्विन 11, 1908
NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 3, 1986/ASHVINA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Page is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

महामन्त्रालय सचिवालय

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1986

प्रसिद्धता

का.भा. 730(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड
(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य
प्राबन्धन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य प्राबन्धन)
(एक ही सतसोर्ग संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य प्राबन्धन) नियम, 1961 में,—

(1) नियम 3 में,—

(1) उपनियम (1) में, "उपनियम (2)" शब्द, कोष्ठकों
और अंक के स्थान पर "उपनियम (2), (3) और
(4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(2) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम रखे
जाएंगे, अर्थात् :—

"(3) जहां किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति के प्रमियोजन के
लिए मंजूरी देना अपेक्षित है वहां—

(क) यदि वह सरकारी सेवक है तो उस विभाग द्वारा, जो
उस सेवा के जिसका वह सदस्य है, काब्र का नियंत्रक
प्राधिकारी है, और किसी अन्य मामले में, उस विभाग
द्वारा जिनमें वह, अभिकथित अपराध किए जाने के
समय कार्य कर रहा था;

(ख) यदि वह, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी सेवक
से निम्न कोई लोक सेवक है तो, उस संगठन से
प्रभावित रूप से संबंधित विभाग द्वारा जिसमें वह
अभिकथित अपराध किए जाने के समय कार्य कर रहा
था; और

(ग) किसी अन्य मामले में, उस विभाग द्वारा जो, उस अधि-
नियम को, जिसके अधीन अभिकथित अपराध किया
गया है; लागू करता है :

परन्तु, जहां ऐसे अभिकथित किए गए अपराधों
के लिए एक से अधिक अधिनियम के अधीन मंजूरी
रूपेक्षित है, वहां वह विभाग जो, ऐसे अधिनियमों में
से किसी को लागू करता है, ऐसे सभी अधिनियमों के
अधीन मंजूरी देने के लिए सक्षम होगा ।

(4) राष्ट्रपति, उपनियम (3) में किसी बात के होने हुए भी,
साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे सकते कि किसी
मामले या मामलों के किसी वर्ग में कामिक और प्रशिक्षण
विभाग द्वारा मंजूरी दी जाएगी ।"

2. द्वितीय अनुसूची में—

- (1) "खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "क. खाद्य विभाग" उप शीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 1 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
 "1. नागरिक आवश्यकताओं के लिए खाद्य पदार्थों का क्रय और उनका निगटान तथा सैनिक आवश्यकताओं के लिए चीनी, चावल और मूह का क्रय भी";
- (2) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्ष के नीचे "घ. संस्कृति विभाग" उपशीर्ष के नीचे, प्रविष्टि 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
 "13. रत्न और आभूषण संग्रहालय";
- (3) "कामिक, लोक शिकाया तथा पेंशन मंत्रालय", शीर्ष के नीचे "क. कामिक और प्रशिक्षण विभाग" उप शीर्ष के नीचे, भाग 3 "सतर्कता और अनुशासन" में प्रविष्टि 20 में, उपप्रविष्टि (ख) और उसके नीचे "टिप्पणों" का जोर किया जाएगा।

जैल सिंह
राष्ट्रपति

[स. 74/2/1/86-कवि.]

सकल कृपया पत्रों में ध्यान दें

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 30th September, 1986

NOTIFICATION

S.O. 730(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (one hundred and eighty seventh Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(I) In rule 3,—

(i) In sub-rule (1), for the word, brackets and figure, "sub-rule (2)", the words, brackets and figures "sub-rules (2), (3) and (4)" shall be substituted;

(ii) After sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(3) Where sanction for the prosecution of any person for any offence is required to be accorded—

(a) If he is a Government servant, by the Department which is the Cadre Controlling authority for the service of which he

is a member, and in any other case, by the Department in which he was working at the time of commission of the alleged offence; and

(b) If he is a public servant other than a Government servant, appointed by the Central Government, by the Department administratively concerned with the organisation in which he was working at the time of commission of the alleged offence; and

(c) In any other case, by the Department which administers the Act under which alleged offence is committed :

Provided that where, for offences alleged to have been committed, sanction is required under more than one Act, it shall be competent for the Department which administers any of such Acts to accord sanction under all such Acts.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (3) the President may, by general or special order, direct that in any case or class of cases the sanction shall be accorded by the Department of Personnel and Training."

(II) In the Government of India,—

(i) under the heading "Ministry of Food and Civil Supplies (Khadya Aur Nagrik Poorvi Mantralaya)" under the sub-heading "A. Department of Food (Khadya Vibhag)", for entry 1, the following shall be substituted namely :—

"1. Purchase of food stuffs for civil requirements and their disposal and also for military requirements of sugar, rice and wheat."

(ii) under the heading "Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya)", under the sub-heading "D. Department of Culture (Sanskriti Vibhag)", after entry 13, the following shall be inserted, namely:—

"13A. Museum of Gems and Jewellery;"

(iii) under the heading "Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Karmic, Lok Shikayat Tatha Pension, Mantralaya)", under the sub-heading "A. Department of Personnel and Training (Karmic Aur Prashikshan Vibhag)", in Part III "Vigilance and Discipline", in entry 20, sub-entry (b) and the "Note" thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH
PRESIDENT

[No. 74/2/1/86-Cab]
DEEPAK DAS GUPTA Jt. Secy.